न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

पीठासीन अधिकारी : श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 203 / 2023

प्रार्थीगण — **बनाम** — **विप्रार्थीगण**

प्रार्थीगण

1. नरसीगाराम पुत्र जेहाराम
2. गोरखाराम पुत्र जेहाराम
3. जोगाराम पुत्र जेहाराम
4. धनाराम पुत्र जेहाराम
5. मगनाराम पुत्र जेहाराम
6. कालूराम पत्रु राणाराम
7. गनाराम पुत्र राणाराम
8. ठाकराराम पुत्र राणाराम
9. फगलूराम पुत्र राणाराम
10. भवाराम पत्रु राणाराम
11. रेखााराामपत्रु राणाराम
12. रणछाराम पुत्र राणाराम
13. रूखमोंदेवी पत्नी राणाराम
14. किस्तुराराम पुत्र गोधूराम
15. दीपाराम पुत्र गोधूराम
16. भंवराराम पुत्र गोधूराम
17. गंवरीदेवी पत्नी गोधूराम
18. बिशनाराम पुत्र उमाराम
19. मांगाराम पुत्र उमाराम
20. रेखाराम पुत्र उमाराम जातियान मेगवाल निवासी परमेश्वर नगर, तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगण

1. श्री तहसीलदार सिणधरी
2. गुमनाराम पुत्र मगाराम
3. जगुराम पुत्र हराराम
4. भाउराम पुत्र हराराम
5. रूखमोंदेवी पत्नी हराराम
6. तुलसाराम पुत्र सालूराम
7. दलू पत्नी सालूराम
8. पपूराम पुत्र घमाराम
9. रामाराम पुत्र घमाराम
10. हुकमी पत्नी घमाराम जातियान मेगवाल निवासी परमेश्वर नगर, तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. श्री जोगराज पोटलिया प्रार्थीगण उपस्थित।
2. नायब तहसीलदार (उपखण्ड कार्यालय)राज.पैरोकार विप्रार्थी सं. 1 की ओर से उपस्थित। शेष एकतरफा।

आदेश

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:17:05 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 05-09-2024

1.संक्षेप में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण संख्या 2 से 10 तक का खेत खसरा संख्या 287 / 74, 290 / 74 रकबा 0.1560, 9.2850 हैक्टेयर मौजा परमेश्वर नगर, पटवार सर्कल सड़ा, तहसील सिणधरी में अवस्थित है, कि मूल खसरा संख्या 74 से विभक्त होकर राजस्व रेकर्ड में हरा, मगा,तुलसा, घमा पि. सालू, दलू बेवा, सालू के नाम दर्ज हुए। वक्त विभाजन

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

सालू के सगे भाई बना व मूला का नाम भूलवंश इस खसरे में नाम दर्ज नहीं हुआ और मौके पर बना व मूला के वारिशान का कब्जाकास्त होने से उक्त खसरे के खातेदार हरा वगैरहा के द्वारा बना व मूला के वारिशान के पक्ष में आपसी सहमति से तहसील कार्यालय गुड़ामालानी में दिनांक 06.08.1998 को बना के वारिशान गोधुराम पुत्र बनाराम, मांगाराम, रेखाराम, विशनाराम पि. उमाराम के पक्ष में भी 40–08 बीघा का पंजीयन बैचान किया गया और मूला के वारिशान राणाराम, केसाराम जेहाराम पि. मूलाराम के पक्ष में भी 40–08 बीघा का पंजीयन बैचान किया गया। उक्त पंजीयन बैचान के आधार पर ग्राम सड़ा झुण्ड में नामान्तरकरण संख्या 50 स्वीकृत किया गया और प्रार्थीगण के नाम से राजस्व रेकर्ड दर्ज हुआ और अलग–अलग खसरा व रकबा दर्ज किया गया। और बैचान के आधार पर उक्त खसरे का रजिस्ट्री में किए गए वणर्न के आधार पर मौके पर पक्षकारान के कब्जा व काबिज के अनुसार विभाजन भी कर दिया गया था और उस समय लठा ट्रैस में तरमीम नहीं की गयी थी और रजिस्ट्री में वर्णित पड़ौस के अनुसार आज दिन तक मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त शान्ति पूर्ण रूप से चला आ रहा है। मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त जिसमें प्राथीगण की रहवासी ढाणीयां, टांके, चारबाडे आदि बने हुए है, जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज तरमीम से विपरित स्थान पर है। अतः विवादित भूमि की मौका कब्जा स्थिति के अनुसार तरमीम दुरूस्ती करवानें हेतु यह आवेदन पेश किया गया है।

2 प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई, विप्रार्थी सं. 2 से 10 बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। विप्रार्थी की ओर से नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय) राज.पैरोकार उपस्थित हुए। विवादित भूमि की मौका जांच रिर्पोट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

3.उभयपक्ष की बहस सुनी कि प्रार्थीगण की खातेदारी खेत खसरा संख्या 288/74, 289/74, 291/74, 292/74, रकबा, 0.1680, 6.3687, 0.1260, 6.4107 हैक्टेयर व विप्रार्थीगण संख्या 2 से 10 तक का खेत खसरा संख्या 287/74, 290/74 रकबा 0.1560, 9.2850 हैक्टेयर मौजा परमेश्वर नगर, पटवार सर्कल सड़ा, तहसील सिणधरी में अवस्थित है, कि मूल खसरा संख्या 74 से विभक्त होकर राजस्व रेकर्ड में हरा, मगा,तुलसा, घमा पि. सालू, दलू बेवा, सालू के नाम दर्ज हुए। वक्त विभाजन सालू के सगे भाई बना व मूला का नाम भूलवंश इस खसरे में नाम दर्ज नहीं हुआ और मौके पर बना व मूला के वारिशान का कब्जाकास्त होने से उक्त खसरे के खातेदार हरा वगैराह के द्वारा बना व मूला के वारिशान के पक्ष में आपसी सहमति से तहसील का[illegible] को बना के वारिशान गोधुराम पुत्र बनाराम, मांगाराम, रेखाराम, विशनाराम पि. [illegible] में 40–08 बीघा का पंजीयन बैचान किया गया और मूला के वारिश[illegible]म, केसाराम जे[illegible]. मूलाराम के पक्ष में भी 40–08 बीघा का पंजीयन बैचान किया गया। उक्त पंजीयन बैचान के आधार पर ग्राम सड़ा झुण्ड में नामान्तरकरण संख्या 50 स्वीकृत किया गया और प्रार्थीगण के नाम [illegible]राजस्व रेकर्ड दर्ज हुआ और अलग–अलग खसरा व रकबा दर्ज किया गया। और बैचान के आधार पर उक्त खसरे का रजिस्ट्री में किए गए वर्ण के आधार पर मौके पर पक्षकारान के कब्जा व काबिज के अनुसार विभाजन भी कर दिया गया था और उस समय लठा ट्रैस में तरमीम नहीं की गयी थी और रजिस्ट्री में वर्णित पड़ौस के

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:17:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

अनुसार आज दिन तक मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त शान्ति पूर्ण रूप से चला आ रहा है। मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त जिसमें प्राथीगण की रहवासी ढाणीयां, टांके, चारबाडे आदि बने हुए है, राजस्व रेकर्ड में दर्ज तरमीम से विपरित स्थान पर है। अपनी बहस को जारी रखतें हुए आगे ओर कथन किया कि तहसीलदार सिणधरी ने अपनी मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 30.05.2024 में तरमीम दुरूस्ती करने की सिफारिश की गई है।

4.विप्रार्थी सं. 1 की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार ने अपनी बहस में जाहिर किया,कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

5.हमनें उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात एवं मौका जांच रिर्पोट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 288/74, 289/74, 291/74, 292/74, रकबा, 0.1680, 6.3687, 0.1260, 6.4107 हैक्टेयर व विप्रार्थीगण संख्या 2 से 10 तक का खेत खसरा संख्या 287/74, 290/74 रकबा 0.1560, 9.2850 हैक्टेयर मौजा परमेश्वर नगर, पटवार सर्कल सड़ा, तहसील सिणधरी में अवस्थित है, कि मूल खसरा संख्या 74 से विभक्त होकर राजस्व रेकर्ड में हरा, मगा,तुलसा, घमा पि. सालू, दलू बेवा, सालू के नाम दर्ज हुए। वक्त विभाजन सालू के सगे भाई बना व मूला का नाम भूलवंश इस खसरे में नाम दर्ज नहीं हुआ और मौके पर बना व मूला के वारिशान का कब्जाकास्त होने से उक्त खसरे के खातेदार हरा वगैराह के द्वारा बना व मूला के वारिशान के पक्ष में आपसी सहमति से तहसील कार्यालय गुड़ामालानी में दिनांक 06.08.1998 को बना के वारिशान गोधुराम पुत्र बनाराम, मांगाराम, रेखाराम, विशनाराम पि. उमाराम के पक्ष में 40–08 बीघा का पंजीयन बैचान किया गया और मूला के वारिशान राणाराम, केसाराम जेहाराम पि. मूलाराम के पक्ष में भी 40–08 बीघा का पंजीयन बैचान किया गया। उक्त पंजीयन बैचान के आधार पर ग्राम सड़ा झुण्ड में नामान्तरकरण संख्या 50 स्वीकृत किया गया और प्रार्थीगण के नाम से राजस्व रेकर्ड दर्ज हुआ और अलग–अलग खसरा व रकबा दर्ज किया गया। और बैचान के आधार पर उक्त खसरे का रजिस्ट्री में किए गए वर्ण के आधार पर मौके पर पक्षकारान के कब्जा व काबिज के अनुसार विभाजन भी कर दिया गया था और उस समय लठा ट्रैस में तरमीम नहीं की गयी थी और रजिस्ट्री में वर्णित पड़ौस के अनुसार आज दिन तक मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त शान्ति पूर्ण रूप से चला आ रहा है। मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त जिसमें प्राथीगण की रहवासी ढाणीयां, टांके, चारबाडे आदि बने हुए है, राजस्व रेकर्ड में दर्ज तरमीम से विपरित स्थान पर है। एवं तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत लटढा नक्शा में तरमीम [illegible] कि गलत तरमीम हो रखी है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक [illegible].05.2024 से होता है,इस प्रकार प्रार्थीगण के मौके पर कब्जा काश्त से विपरीत तरमीम [illegible] प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति भी हो रही है,जबकि प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमीम होनी चाहिए। ताकि राजस्व रिकॉर्ड की एकरूपता बनी रहें और तहसीलदार सिणधरी ने भी अपनी मौका जांच रिर्पोट में मौका स्थिति के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने की अनुशंषा की गई है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि विवादित भूमि के खातेदारान का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:17:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लट्ठा में तरमीम नहीं हो रही है। जो प्रार्थीगण मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार रिकॉर्ड में तरमीम दुरूस्त करवाने के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

6. लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 288/74, 289/74, 291/74, 292/74 रकबा 0.1680, 6.3687, 0.1260, 6.4107 हैक्टेयर व विप्रार्थीगण संख्या 2 से 10 तक का खेत खसरा संख्या 287/74, 290/74 रकबा 0.1560, 9.2850 हैक्टेयर मौजा परमेश्वर नगर, पटवार सर्कल सड़ा, तहसील सिणधरी भूमि की विद्यमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 30.05.2024 के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्त करने के आदेश पारित किये जाते है, उक्त नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सिणधरी को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम दुरूस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 05.09.2024 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:17:05 IST
Reason: SelfAttested